**नीलामी से संबंधित शर्ते एवं नियम :–**

1 क.स. 1 से 4 के भूखण्डों हेतु रजिस्ट्रेशन, अमानत राशि, पहचान पत्र अपलोड करने की कार्यवाही दिनांक 08.07.2021 को प्रातः 11 बजे से 14.07.2021 प्रात 11 बजे तक एवं ऑनलाईन नीलामी दिनांक 16.7.2021 प्रात 11 बजे से 18.07.2021 प्रात 11 बजे तक की जावेगी।

2 आमजन को सूचित किया जाता है कि अगर नीलामी में रखे गये भूखण्डों पर किसी न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया हो तो नीलामी से पूर्व मय साक्ष्य के न्यास कार्यालय में प्रस्तुत करें।

3 ई–ऑक्शन हेतु वेबसाईट :– urban.rajasthan.gov.in/uitbharatpur on E services, property auction, click on link here for E-auction details पर बोली लगा सकते है।

4 अमानत राशि ऑनलाईन नीलामी में भाग लेने वाला व्यक्ति को कॉलम संख्या 7 में अंकित राशि (नियमानुसार) राशि अमानत के रूप में जमा करा नीलामी में भाग ले सकेगा। सफल बोली दाता की अमानत राशि विक्रय मूल्य में समायोजन की जायेगी एवं असफल बोलीदाता की अमानत राशि पुर्नभुगतान कर दी जायेगी।

5 उच्चतम बोलीदाता को बोली की 15 प्रतिशत राशि नीलामी दिनांक से 3 दिवस में जमा करानी होगी। उक्त राशि जमा नहीं कराने की स्थिति बोलीदाता की जमा अमानत राशि न्यास पक्ष में जब्त की जाकर बोली स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष
नगर विकास न्यास भरतपुर

(के0के0 गोयल)
सचिव
नगर विकास न्यास, भरतपुर

## अन्य शर्ते व नियम

1 ऑनलाईन नीलामी की दर स्वीकृति पश्चात सफल बोलीदाता को बोली की 35 प्रतिशत ऑनलाईन नीलामी दिनांक से 240 दिवस में जमा करानी होगी। यदि बोलीदाता 35 प्रतिशत राशि 240 दिवस में जमा कराने में असफल रहता है तो आगामी 60 दिवस में 15 प्रतिशत ब्याज सहित जमा करा सकेगा।

2 सफल बोलीदाता को बोली की 50 प्रतिशत राशि ऑनलाईन नीलामी दिनांक से 360 दिवस में जमा करानी होगी। यदि बोलीदाता 50 प्रतिशत राशि 360 दिवस में जमा कराने में असफल रहता है तो आगामी 90 दिवस में 15 प्रतिशत ब्याज सहित जमा करा सकेगा।

3 प्रत्येक भूखण्ड की नीलामी पर 1 प्रतिशत नीलामी कमीशन पृथक से देय होगा।

4 यदि सफल बोलीदाता मांगपत्र जारी दिनांक से 15 दिवस में समस्त राशि का भुगतान करता है तो बोली राशि में 2 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

5 यदि बोलीदाता बढाई गई अवधि में राशि जमा कराने में असफल रहता है तो जमा 15 प्रतिशत राशि स्वतः ही न्यास पक्ष में जब्त हो जायेगी स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।

6 बोलीदाता को पेन कार्ड की प्रति जमा करानी होगी।

7 ऑनलाईन बोली 100/– रूपये प्रति वर्गगज/वर्गमीटर के गुणांक में ही स्वीकार की जायेगी।

8 नगरीय कर/लीज राशि योजना की आरक्षित दर की 2.5 प्रतिशत आवासीय एवं 5 प्रतिशत व्यावसायिक प्रतिवर्ष देय होगी।

9 300 वर्ग मीटर से अधिक के आवासीय भूखण्ड पर 10/– प्रति वर्ग मीटर एवं सभी व्यावसायिक भूखण्डों पर 25 प्रति वर्गमीटर की दर से पृथक से बी.एस.यू.पी फण्ड देय होगा।

10 भूखण्ड मौके पर जैसी स्थिति में है उसी स्थिति में नीलाम किया जायेगा व क्षेत्रफल में परिवर्तन हो सकता है।

11 उच्चतम बोली को स्वीकार/अस्वीकार (बिना किसी कारण) करने का अंतिम अधिकार न्यास अध्यक्ष में निहित है।

12 शर्ते नगर विकास न्यास के अनुसार मान्य होंगी।

13 अमानत राशि व मांग पत्र ऑनलाईन पॉर्टल में माध्यम से ही देय है।

14 50 लाख अथवा इससे अधिक मूल्य के आवासों/भूखण्ड पर आयकर का प्रावधान 194-IA के अनुसार क्रेता को विक्रय मूल्य की 1 प्रतिशत टीडीएस राशि जमा करानी होगी।

15 नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाता को SSO ID के माध्यम से लॉगइन कर अरबन सर्विसेज में अपनी प्रोफाईल बनाकर ही भाग लेना होगा एवं धरोहर राशि भी ऑनलाईन जमा करानी होगी। धरोहर राशि जमा कराने के पश्चात ही ऑनलाईन बोली लगाई जा सकेगी।

16 मौकानुसार भूखण्ड की साईज में परिवर्तन होने पर प्राप्त दर अनुसार राशि धटाई व बढाई जा सकेगी तथा गोलाई/त्रिज्या में आने वाले क्षेत्र की राशि कम नही की जायेगा।

17 ऑनलाईन नीलामी प्रक्रिया में अंतिम 5 मिनट में किसी भी आवास/भूखण्ड पर बोली लगने पर बोली का समय स्वत 5 मिनट बढ जायेगा।

18 आमजन को सूचित किया जाता है कि अगर नीलामी में रखे गये भूखण्डों पर किसी न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया हो तो नीलामी से पूर्व मय साक्ष्य के न्यास कार्यालय में प्रस्तुत करें।

19 नीलामी की समस्त शर्ते व भूखण्डों से संबंधित समस्त जानकारी श्री लोकेन्द्र सिंह, कम्प्युटर प्रभारी मो0 नं0 7688882512, श्री अनुराग शर्मा वरिष्ठ प्रारूपकार मो0 न0 9414714341 एवं प्रभारी अधिकारी श्री राजुल कुमार शर्मा मो0 न0 8949459825 से जानकारी प्राप्त कर सकते है।

20 जो व्यक्ति संयुक्त नामों से भूखण्ड क्रय करना चाहते है अपना प्रार्थना–पत्र मय संयुक्त नामों की सूची दिनांक 08.07.2021 से 14.07.2021 तक कार्यालय में प्रस्तुत कर दें। इसके पश्चात् कोई विचार नहीं किया जावेगा।

नोटः– मोबाईल से जानकारी प्राप्त करने के लिये केवल कार्यालय दिवस व कार्यालय समय ही मान्य है

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष
नगर विकास न्यास भरतपुर

(के0के0 गोयल)
सचिव
नगर विकास न्यास, भरतपुर